संख्या- 02 /2022/136/23-2-22-43(1110)/2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 09 मार्च, 2022

विषयः- जनपद प्रयागराज में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रयाग-लखनऊ रेल खण्ड पर प्रयाग स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे कि0मी0-149/10-11 पर सम्पार संख्या-75 ए (तेलियरगंज/मजार से बड़ा बघाडा/सलोरी सड़क मार्ग) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-9145बी.जी./7 बी0-मांग-भूमि प्रतिकर/2021-22, दिनांक 07.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/2021/886/23-2-2021, दिनांक 28.12.2021 के अनुक्रम में जनपद प्रयागराज में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रयाग-लखनऊ रेल खण्ड पर प्रयाग स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे कि0मी0-149/10-11 पर सम्पार संख्या-75 ए (तेलियरगंज/मजार से बड़ा बघाडा/सलोरी सड़क मार्ग) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 4588.00 लाख अवमुक्त किय जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

2- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 16/ 2018/ बी- 2-979/ दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर , 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner

7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1320-मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-60 भूमि क्रय मद" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

09/03/2022

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 02/2022/136/23-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रयागराज।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ
8- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/11
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner